UPLK010001702025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 63 / 2025

सरकार **बनाम** विशाल यादव

अ0सं0 54 / 2022
धारा–115(2),352 बी0एन0एस0 तथा
धारा 3(1)द,ध, 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट
थाना–हुसैनगंज, लखनऊ।

04–02–2026

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण विशाल यादव, आकाश यादव व पिंकी यादव न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323, 504 भा0द0सं0 एवं धारा 3(1)द, ध, 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 25.03.2026 को पेश हो।

(हुसैन अहमद अंसारी)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010001702025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 63/2025

सरकार **बनाम** विशाल यादव

अ0सं0 54/2022

धारा–115(2),352 बी0एन0एस0 तथा

धारा 3(1)द,ध, 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट

थाना–हुसैनगंज, लखनऊ।

आरोप

मैं, हुसैन अहमद अंसारी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण विशाल यादव, आकाश यादव व पिंकी यादव को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथमः यह कि दिनांक 29.08.2024 समय अदम तहरीर थाना हुसैनगंज जिला लखनऊ सीमान्तर्गत छितवापुर में आप अभियुक्तगण विशाल यादव, आकाश यादव व पिंकी यादव ने वादी मुकदमा कुणाल रावत, उसके भाई सचिन रावत व अंकित रावत को मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। आपके द्वारा कारित अपराध एस0सी0/एस0टी0 ऐकट के तहत अनुसूची का अपराध है। इस प्रकार आप ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) सपठित धारा 3(2)va एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण विशाल यादव, आकाश यादव व पिंकी यादव ने वादी मुकदमा कुणाल रावत, उसके भाई सचिन रावत व अंकित रावत को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्तगण विशाल यादव, आकाश यादव व पिंकी यादव ने वादी मुकदमा कुणाल रावत, उसके भाई सचिन रावत व अंकित रावत को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)द के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्तगण विशाल यादव, आकाश यादव व पिंकी यादव ने वादी मुकदमा कुणाल रावत, उसके भाई सचिन रावत व अंकित रावत जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(हुसैन अहमद अंसारी)

दिनांकः 04–02–2026 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ।

जे0ओ0 कोड–यू0पी06158

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(हुसैन अहमद अंसारी)

दिनांकः 04–02–2026 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ।

जे0ओ0 कोड–यू0पी06158